न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/38/2019

अपीलार्थी	बनाम	पदाभिहित अधिकारी
श्री अवधेश यादव C/O प्रतापसिंह एडवोकेट, कोर्ट कैम्पस, बहरोड, जिला–अलवर (राज0)		उपखण्ड अधिकारी बहरोड (अलवर)

प्रवेश तिथि : 17.05.2019

प्रथम अपील अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवाओं की गारण्टी अधिनियम–2011

निर्णय

दिनांकः 12.06.19

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. पदाभिहित अधिकारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। पत्रांकः 625 दिनांकः 03.06.19 के माध्यम से जवाब नोटिस प्रस्तुत किया जिसे अभिलेख पर लिया गया।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने राजस्थान लोक सेवाओं की गारण्टी अधिनियम–2011 के नियम 4 के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांकः 03.05.19 के माध्यम से दिनांकः को 16.06.18 को पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में विचाराधीन पत्रावली से 03 प्रतियों में नकल उपलब्ध कराने की वांछा की गई थी।
5. प्रकरण में पदाभिहित अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के प्रथम आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र दिनांकः 15.05.19 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर पदाभिहित अधिकारी को नोटिस क्रमांकः 152–53 दिनांकः 17.05.19 के माध्यम से तलब कर जवाब के साथ इस न्यायालय में उपस्थित होने निर्देशित किया गया व बार–बार स्मरण–पत्र जारी किए जाने पर पत्र दिनांकः 03.06.19 के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया।
7. हमने पदाभिहित अधिकारी से प्राप्त जवाब एवं अपीलार्थी की प्रथम अपील का अवलोकन किया। पदाभिहित अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड (अलवर) के पत्रांकः लोक सूचना/2019/625 दिनांकः 03.06.19 से प्राप्त जवाब अनुसार इसी पत्र, लोक 625 दिनांकः 03.06.19 के माध्यम से अपीलार्थी को सेवा प्रदान की गई है, प्रति संलग्न है।
8. पदाभिहित अधिकारी द्वारा उक्त निर्णय के बिन्दु सं.8 अन्तर्गत वर्णांकित सेवा/सूचना संबंधी पत्र प्रेषण का मिथ्या अंकन किया है व अपीलार्थी को प्रेषित सेवा संबंधी पत्र की प्रति/प्राप्ति रसीद भी संलग्न कर प्रेषित नहीं की है। साथ ही प्रथम अपील प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् भी सेवा अपीलार्थी को प्रेषित की है, के साक्ष्य स्वरूप पूर्ण दस्तावेजात् इस न्यायालय को प्रेषित नहीं किए हैं जो उक्त अधिनियम की पालना के प्रति आपकी उदासीनता का परिचायक है। P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

9.उक्त आलोक में प्रथम अपील स्वीकार की जाती है। पदाभिहित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि आवेदन दिनांक: 03.05.19 में वांछित प्रतिलिपि–सेवा उक्त निर्णय प्राप्ति के 07 दिवस में आवश्यक रूप से अपीलार्थी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करावें।

10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

11. निर्णय घोषित ।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

प्रथम अपील अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)